न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 43/2019, जी.सी.एम.एस. नं. 2019/00127

1. शांति देवी पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी जोगी मोहल्ला सपोटरा हाल निवासी तीन बड के पास कृष्ण विहार कॉलोनी करौली तहसील व जिला करौली राज0।

अपी0

बनाम

1. धर्मी देवी पत्नि छोटे जाति माली निवासी जोगी मोहल्ला तहसील सपोटरा जिला करौली, राज0।
2. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सपोटरा जरिये प्रबंधक पी.एन.बी. शाखा सपोटरा, जिला करौली, राज0।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली, राज0।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा मु0न0 37/2017 निर्णय दिनांक 17.07.2019)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री श्याम प्रकाश गर्ग
2. रेस्पो0 की ओर से श्री सैय्यद जुलिफकार अली

निर्णय दिनांक 12.01.2022

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 37/2017 निर्णय दिनांक 17.07.2019 न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 अधिनियम 1955 [illegible] का प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं. 169 रकबा 01 बीघा 07 विस्वा, [illegible] रकबा 03 विस्वा एवं ख.नं. 191 रकबा 01 बीघा 03 विस्वा कुल [illegible] बीघा 13 विस्वा [illegible] ग्राम बाजना पटवार हल्का बाजना तहसील सपोटरा जिला करौली में स्थित है [illegible] मुझ सायलान/अपी0 एवं गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 धर्मी देवी का 1/2-1/2 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हक व हिस्सा है। उक्त विवादित आराजीयात सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। सायलान/अपी0 व गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। सायलान/अपी0 ने गैरसायलान/रेस्पों से कई बार बंटवारा कराने की कही परन्तु गैरसायलान/रेस्पों. सहमति से बंटवारा करने को राजी नहीं है। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 सहजोर व ताकतवर है और सायलान/अपी0 के कहने पर दिनांक 10.09.2017 को बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया आरै उक्त विवादित आराजीयात का बिना बंटवारा कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने की ऐलांनिया धमकी दी और कहने लगे कि हमने उक्त विवादित आराजीयात को पी.एन.बी. बैंक शाखा सपोटरा में रहन रख दिया है जबकि सायलान/अपी0 द्वारा अपने 1/2 हिस्से की आराजीयात को कभी भी बैंक में रहन नहीं रखा है न ही रहन राशि ली है। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 द्वारा साज रचकर फर्जी तरीके से सायलान/अपी0 के हिस्से की आराजीयात को गलत तौर पर बैंक में रहन रखकर ऋण राशि उठा ली है जो सायलान/अपी0 पर बाध्यकारी नहीं है। सायलान/अपी0 के हिस्से को गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 द्वारा गलत रूप से रहन दर्ज कराया है जिसकी रिपोर्ट सायलान/अपी0 द्वारा पुलिस थाना सपोटरा पर दिनांक 14.09.2017 को दर्ज कराई है। सायलान/अपी0 उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 के साथ संयुक्त रूप से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। सायलान/अपी0 का अब गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 के साथ संयुक्त काश्त करना संभव नहीं है। इसलिए सायलान/अपी0 अपने 1/2 हिस्से का गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 से नियमानुसार बंटवारा कराकर इन्द्राज कराने का अधिकारी है। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 बिना बंटवारा कराये ही उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर उतारू है। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक खातेदारी काश्तकारी अधिकार सायलान/अपी0 पर आघात है और सायलान/अपी0 को अपूर्णीय क्षति है एवं भारी असुविधा है। सायलान/अपी0 का प्राइमाफेसी केस काफी मजबूत है जो दस्तावेजी सबूतों पर आधारित है जिसमें सायलान/अपी0 को कामयाबी की पूरी उम्मीद है। अतः गैरसायलान/रेस्पों. सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त आराजीयात का बिना बंटवारा कराये किसी दीगर व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करें। सायलान/अपी0 के संयुक्त हिस्से कब्जे काश्त में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करें। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान/अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपी0/सायलान के विरूद्ध निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/सायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.07.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपी0 व रेस्पों. सं. 01 के प्रति खास भाई है और अपी0 व रेस्पों. सं. 1 आपस में देवरानी जैठानी है। रेस्पों. सं. 01 ने अपी0 से छिपा कर अपी0 के हिस्से की जमीन को अपी0 की बिना इजाजत गिरवी रख कर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया और जमाबंदी में रहन मुर्तहन का इन्द्राज करा दिया। अपी0 द्वारा बैंक में ऋण खाते से कभी कोई लेन देन नहीं किया गया है। रेस्पों. द्वारा समस्त कार्यवाही फर्जी की गयी है जिसके संबंध में अपी0 द्वारा थाना सपोटरा में मुकदमा दर्ज कराया है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। अपी0 विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। अपी0 को अपने 1/2 हिस्से को काश्त करने का पूरा हक है। अधिनस्थ न्यायालय ने जमीन सामिलाती मान कर व हर इचं पर हर व्यक्ति का कब्जा मानकर दर.टी.आई. खारिज की है जबकि अपी0 को जमीन पर काश्त कर फल प्राप्त करने का अधिकार है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि रेस्पों. ने उक्त विवादित आराजीयात का सहमति से बंटवारा करने से मना नहीं किया है न ही उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचने की धमकी दी। अपी0 के हिस्से की भूमि को रहन रखकर किसी भी प्रकार का कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। अपी0 ने रेस्पों. के विरूद्व दिनांक 14.09.2017 को पुलिस थाना सपोटरा में झूठी रिपोर्ट दर्ज करायी है तथा रेस्पों. को परेशान करने व आपसी रंजिश के कारण अपी0 ने यह अपील पेश कि है। रेस्पों. द्वारा अपी0 को संयुक्त रूप से बतौर खातेदार काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट उत्पन्न नहीं कि गयी है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उक्त विवादित भूमि का हम रेस्पों. व अपी0 मौके पर बहमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त विवादित आराजीयात में अपी0 व रेस्पों. का हिस्सा 1/2-1/2 है व सुयक्त रूप से खातेदारी व कब्जे काश्त है। उक्त विवादित आराजीयात में रेस्पों. व अपी0 द्वारा संयुक्त रूप से चाह(बोर) का निर्माण किया है एवं संयुक्त रूप से कृषि विद्युत कनेक्शन ले रखा है। उक्त विवादित आराजीयात के ख.नं. 170 में कृषि विद्युत कनेक्शन स्थित है जो बहमी बंटवारे अनुसार मुझ रेस्पों. के हिस्से की भूमि में स्थित है। रेस्पों. बहमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:01:18 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

बंटवारे अनुसार उक्त कनेक्शन को अपने हिस्से की भूमि में रखने की हक हकूक व अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 ल0 76 वाके ग्राम बाजना के खतौनी सं. 169 पर ख.नं. 169, 170, 191 शांति देवी पत्नि बाबूलाल धर्मीदेवी पत्नि छोटे जाति माली सा0देह अंकित है। पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोकने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखना उचित है। अतः अपील आंशिक स्वीकार होने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा के मु0नं0 37/2017 निर्णय दिनांक 17.07.2019 को संशोधित किया जाता है कि उभयपक्ष को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आराजी ख.नं. 169 रकबा 01 बीधा 7 विस्वा, ख.नं. 170 रकबा 3 विस्वा एवं ख. नं. 191 रकबा 01 बीघा 03 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम बाजना तहसील सपोटरा जिला करौली की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

7. निर्णय आज दिनांक 12.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-1-22

(बी0एल0रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 18:01:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner